

अति-आवश्यक  
तत्काल  
आज ही जारी हो।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड  
विद्युत भवन, जनपथ, ज्योतिनगर, जयपुर।

क्रमांक राराविप्रनिलि./सहायक सचिव(संस्थापन-II)/प. /प्रे. 792 जयपुर दिनांक 19/3/19

मुख्य/अतिरिक्त/संभागीय/अभियन्ता ( ),  
अधीक्षण अभियन्ता ( ),  
संयुक्त विधि परामर्शी,  
मुख्य लेखा नियंत्रक,  
संयुक्त निदेशक कार्मिक,  
संयुक्त/उप/सहायक सचिव( ),  
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,  
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

विषय :-विधानसभा प्रश्न संख्या 1283/वित्त/अताराकित द्वारा श्रीमती अनिता भदेल  
(02), सदस्य, राजस्थान विधानसभा।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधीक्षण अभियन्ता (पी. एण्ड पी.), राराविप्रनिलि., जयपुर के पत्र क्रमांक 1733 दिनांक 18.03.2019 से प्राप्त विधानसभा प्रश्न संख्या 1283/वित्त/अताराकित द्वारा श्रीमती अनिता भदेल (02), सदस्य, राजस्थान विधानसभा की प्रतिलिपी संलग्न कर लेख है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उक्त विधानसभा प्रश्न के बिन्दु 02 एवं 03 में आपके विभाग की संकलित सूचना/उत्तर आज ही (हिन्दी में), आवश्यक दस्तावेजों के साथ सूचना प्रेषित करवाने की व्यवस्था करावें ताकि उक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर प्रेषित किया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

*Maria*  
19.3.19  
(मरियम्मा राजन)  
सहायक सचिव (संस्थापन-II)

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड  
कार्यालय अधीक्षण अभियंता (पी.एण्ड.पी.)

रजि. कार्यालय-विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302005

क्रमांक/राराविप्रनि/अ.अ.(पी एण्ड पी)/प्रे. 1733 जयपुर दिनांक 18-3-19

सचिव (प्रशासन),  
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.,  
जयपुर।

Secretary (Admn.) RRVPNL  
R. R. No. 1528 Dt. 18/3/19

विषय : विधान सभा प्रश्न संख्या 1283/वित्त/अतारांकित द्वारा  
श्रीमती अनिता भदेल (2) सदस्य, विधान सभा।

श्रीमती अनिता भदेल (2) सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1283 की एक प्रति संलग्न करते हुए निवेदन हैं कि उक्त प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 व 3 का उत्तर (हिन्दी में) इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियंता (पी एण्ड पी)  
Radr

As(ESH II)  
2821  
19/3/19  
Pramesh S.

Mamby  
19.3.19

# राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

विधानसभा प्रश्न संख्या 1283/वित्त/अतारांकित  
सदस्य का नाम एवं विभाजन संख्या

श्री अनिता भदेल (2)

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला कर्मिकों/अधिकारियों को दी जाने वाली चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत करने के क्या नियम हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।	
2.	क्या यह सही है कि सभी सरकारी कार्यालयों में महिला कर्मिकों/अधिकारियों द्वारा चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत कराने हेतु दिये गये आवेदन लम्बित हैं ? यदि हां तो विभिन्न विभागों में लम्बित आवेदनों का विवरण सदन की मेज पर रखें।	
3.	उक्त आवेदन कब से लम्बित हैं ? इन्हें स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।	